दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) में क्रॉस-डिसीबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए सिपडा के अंतर्गत उप-योजना

1. परिचय

क. जनगणना 2011 के अनुसार, देश में लगभग 20.42 लाख बच्चे दिव्यांग हैं, जो देश के बच्चों की जनसंख्या का 7 प्रतिशत है । अब 21 दिव्यांगताओं को मान्यता देने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के साथ ही यह अपेक्षा की जाती है कि और अधिक संख्या में दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा ।

ख. शोध अध्ययनों से पता चलता है कि प्रारंभिक बचपन (0-6 वर्ष) मस्तिष्क के उल्लेखनीय विकास का समय होता है। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण अवधि होती है जो किसी व्यक्ति की अपने आजीवन स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक क्षमता तक पहुंचने की क्षमता को निर्धारित करती है। यदि बच्चों को उनके बचपन में ही गुणवत्तायुक्त अर्ली इंटरवेंशन प्रदान की जाती है तो इससे उन्हें स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद मिलती है । अर्ली इंटरवेंशन ऐसे शिशुओं और छोटे बच्चों, जिनमें दिव्यांगता का जोखिम होता है या दिव्यांग होते हैं और/या जिनके विकास में देरी होती है, तथा उनके परिवारों को उनके विकास, कल्याण और परिवार तथा सामुदायिक जीवन में भागीदारी में मदद करने के लिए विशेष सहायता और सेवाएं प्रदान कर सकता है । यदि दिव्यांगता/जोखिम/विकासात्मक देरी से ग्रस्त बच्चों को पहले ही समय पर पुनर्वास देखभाल और इंटरवेंशन प्रदान किया जाता है, तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में समग्र सुधार की बेहतर गुंजाइश होती है ।

ग. 0-6 वर्ष की अवधि को बच्चे के लिए सीखने की उचित आयु कहा जाता है। इसलिए जरूरी है कि दिव्यांग बच्चों को इस उम्र में उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार किया जाए ताकि उनकी शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं, संचार और भाषा कौशल में सुधार हो सके जिससे कि वे सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जी सकें ।

घ. वर्तमान में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) में क्रास डिसेबिलिटीज वाले

दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास के लिए ऐसी सुविधाएं और विशेष कर्मी उपलब्ध नहीं हैं । जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित जिला अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (डीईआईसी) पहचान और उपचार से संबंधित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जोखिम वाले मामलों या दिव्यांगजनों या विकासात्मक देरी वाले बच्चों के लिए शीघ्र पुनर्वास देखभाल और इंटरवेंशन के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम नहीं है ताकि उनके समग्र दिव्यांगता बोझ को कम करने में मदद मिल सके । इस प्रकार, विभाग के तहत एनआई और सीआरसी में क्रॉस-डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर शुरू करने की जरूरत महसूस की गई ।

ङ. इस विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान, अधिकांशत: दिव्यांगता की एक विशेष श्रेणी के लिए कार्य कर रहे है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), दिल्ली केवल लोकोमोटर दिव्यांगता के लिए सेवा प्रदान करते हैं । राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून दृष्टि दिव्यांगता के लिए कार्य करता है, अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई श्रवण दिव्यांगता और राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद में बौद्धिक दिव्यांगता के लिए सेवा प्रदान की जाती हैं ।

च. इसी प्रकार, विभाग के अंतर्गत एनआई से संबद्ध समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों (सीआरसी) को भी 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए क्रॉस-डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है । वर्तमान में 21 सीआरसी अगरतला, अहमदाबाद, बलांगीर, भोपाल, दावनगेरे, गंगटोक, गोरखपुर, गुवाहाटी, पोर्ट ब्लेयर, इंफाल, कोझिकोड, लखनऊ, नाहरलगुन, नागपुर, नेल्लोर, पटना, राजनांदगांव, रांची, शिलांग, श्रीनगर और सुंदरनगर में स्थित हैं।

छ. इस प्रकार, एक सन्निहित सुगम्य, कलात्मक रूप से आकर्षक तथा बाल – अनुकूल वातावरण के साथ एक ही छत के नीचे 21 दिव्यांगताओं के सभी पहलूओं(गैमुट) को कवर करते हुए दिव्यांग बच्चों तथा जोखिम वाले बच्चों के मामलों में शीघ्र पहचान और पुनर्वास इंटरवेंशन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता है ।

2. उद्देश्य:

राष्ट्रीय संस्थानों और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों में क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी) स्थापित करने और उनके अतिरिक्त प्रासंगिक मामलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस तरह के क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए :

जांच और पहचान	▪ जोखिम वाले बच्चों की शीघ्र पहचान के लिए सुविधाएं ▪ उचित इंटरवेंशन सेवाओं के लिए रेफरिंग
थेरेप्यूटिक सेवाएं	▪ संचार और भाषा विकास। ▪ स्पीच स्टिम्युलैशन (उत्तेजना) और थेरेपी ▪ ओक्यूपेशनल थेरेपी ▪ फिजियोथेरेपी ▪ व्यवहार प्रबंधन ▪ संज्ञानात्मक विकास
परामर्श (काउंसलिंग)	▪ परिवार, अभिभावक और केयरगिवर काउंसलिंग और प्रशिक्षण ▪ पीयर काउंसलिंग
स्कूल तैयारी करना	▪ संवाद, भाषा और संज्ञानात्मक विकास ▪ मूलभूत साक्षरता ▪ मोटर और शारीरिक विकास ▪ व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक विकास ▪ प्रीप्रेटरी स्कूल की सुविधा

3. लक्ष्य :

वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान 28 सीडीईआईसी की स्थापना और कामकाज में सहायता करना जिसका विवरण निम्नानुसार है :

2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
7 एनआई और 7 सीआरसी में 14 सीडीईआईसी (पहले ही स्थापित कर लिए गए और इन्हें दिनांक 17.6.2021 को माननीय मंत्री एसजे एंड ई द्वारा लॉन्च किया गया) और 5 सीआरसी में 5 नए सीडीईआईसी	1 सीआरसी में 1 नया सीडीईआईसी	2 सीआरसी में 2 नए सीडीईआईसी	3 सीआरसी में 3 नए सीडीईआईसी	3 सीआरसी में 3 नए सीडीईआईसी

4. कार्यान्वयन एजेंसी

क. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय संस्थान (एनआई) ।
ख. विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों के समेकित क्षेत्रीय केंद्र(सीआरसी) ।
ग. कार्यान्वयन एजेंसियां इस विभाग को अनुबंध- I में दिए गए प्रोफोर्मा में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

5. पात्रता मानदंड

एनआई/सीआरसी के पास सीडीईआईसी की स्थापना के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए अधिमानतः अपने या सरकारी गैर-किराए के आवास में ।

मॉडल सीडीईआईसी में प्रदान की जाने वाली स्थान उपलब्ध कराने की सुविधाओं से संबंधित केंद्रों/इकाइयों/कमरे की आवश्यक निर्देशात्मक सूची **अनुबंध II** में दी गई है ।

6. योजना के घटक

क. अनुबंध-**III** में दी गई निर्देशात्मक सूची के अनुसार सुगम्यता की विशेषताओं जैसे टेक्टाइल स्ट्रिप्स, टाइल्स, ब्रेल साइनेज, रेलिंग के साथ रैंप, आपातकालीन निकासी मार्ग आदि और कलात्मक रूप से डिजाइन किए गए अंदरूनी हिस्सों सहित आकर्षक वॉल डेकोर/पेंटिंग/टेक्टाइल दीवारें, उपकरण, फर्नीचर/फिक्स्चर, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सहित बुनियादी ढांचे के लिए 20.00 लाख रुपये का एक बारगी व्यय या वास्तविक व्यय, इनमें जो भी कम हो।

ख. **अनुबंध IV** के अनुसार कर्मचारियों के वेतन के लिए 54,36,000 रुपये प्रति वर्ष या वास्तविक व्यय, इनमें जो भी कम हो, तथा आकस्मिक व्यय 3.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष या वास्तविक व्यय के अनुसार, इनमें जो भी कम हो, के लिए ।

7. संचालन व्यवस्थाएं

क. बुनियादी ढांचे, फर्नीचर और फिक्स्चर आदि के लिए व्यय के अनुमानों पर सीपीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता के रैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

ख. कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों पर ऐसे प्रस्तावों की प्राप्ति से दो महीने की अवधि के भीतर निम्नलिखित समिति द्वारा विचार किया जाएगा :

1.	संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी - सीडीईआईसी का कार्य देखने वाले	अध्यक्ष
2.	सिपडा से संबंधित कार्य देखने वाले उप सचिव / निदेशक	सदस्य
3.	उप सचिव / निदेशक (आईएफडी)	सदस्य
4.	एनआई से संबंधित कार्य देखने वाले उप सचिव / निदेशक	सदस्य
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि सदस्य (निदेशक / उप सचिव से नीचे के स्तर का न हो)	सदस्य
6.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि (निदेशक / उप सचिव से नीचे के स्तर का न हो)	सदस्य
7.	रोटेशन आधार पर दो राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक (2021-22 - एनआईईपीवीडी, देहरादून और एनआईएलडी, कोलकाता, 2022-23 – एसवीएनआईआरटीएआर, कटक और एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद, 2023-24 – एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई और एनआईईपीएमडी, चेन्नई, 2024-25 – पीडीयूएनआईपीपीडी, दिल्ली और एनआईईपीवीडी, देहरादून, 2025-26 – एनआईएलडी, कोलकाता और एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद)	सदस्य
8.	सीडीईआईसी का कार्य देखने वाले निदेशक / उप सचिव	सदस्य-संयोजक

ग. समिति अपने विचार के लिए संबंधित एनआई/सीआरसी से क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना के उद्देश्य से पहचाने गए स्थान के वीडियो के माध्यम से वॉक थ्रू वीडियो के साथ प्रस्तुतीकरण के लिए कह सकती है ।

घ. समिति अनुमत वित्तीय सहायता की मात्रा की सिफारिश करेगी या प्रस्ताव को अस्वीकार करेगी।

ङ. उपरोक्त समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव पर एक माह के भीतर विभाग में कार्रवाई की जाएगी।

8. भुगतान की शर्तें:

क. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निबंधन और शर्तों की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के बाद बुनियादी ढांचे/फिक्सचर/उपकरण लागत के संबंध में कुल स्वीकृत राशि का 30 प्रतिशत अग्रिम में पहली किस्त के रूप में दिया जाएगा । किसी भी स्थिति में, बुनियादी ढांचे, उपकरण, फिक्सचर आदि के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर सिविल कार्य पूरा होना चाहिए ।

ख. दूसरी किस्त अर्थात अवसंरचना / फिक्सचर / उपकरण लागत के संबंध में कुल स्वीकृत राशि का 30 प्रतिशत, अनुबंध V के अनुसार प्रथम चरण का कार्य पूरा करने और पहली किस्त के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ।

ग. तीसरी किस्त अर्थात **अनुबंध V** के अनुसार दूसरे चरण का कार्य पूरा होने और दूसरी किस्त के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद अवसंरचना/ फिक्सचर / उपकरण लागत के संबंध में कुल स्वीकृत राशि का 30 प्रतिशत।

घ. **अनुबंध V** के अनुसार तीसरे चरण के पूरा होने के बाद अवसंरचना / फिक्सचर / उपकरण लागत के संबंध में कुल स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत और अवसंरचना / फिक्सचर / उपकरण लागत के लिए पूरी स्वीकृत राशि के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ।

ड. भर्ती के बाद कर्मचारियों के वेतन और अन्य आवर्ती खर्चों के लिए 6 महीने के आधार पर अग्रिम में निधि जारी करना ।

9. अन्य सामान्य निबंधन और शर्तें:

क. कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुगम्यता की

विशेषताओं सहित बाल सुरक्षा और बाल-अनुकूल अवसंरचना के लिए सिविल कार्य पूरा करने की आवश्यकता है । उपकरण, फर्नीचर और फिक्स्चर जैसे अग्नि-सुरक्षा उपकरण, विंडो ब्लाइंड्स, पर्याप्त लाइट फिटिंग, सुरक्षा अलार्म सिस्टम आदि और भवन निर्माण मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए, और समिति द्वारा अनुशंसित समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा करना चाहिए ।

ख. कार्यान्वियन एजेंसियों को **अनुबंध VI** के अनुसार क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के लोगो को द्विभाषी रूप से प्रदर्शित करने की आवश्यकता है ।

ग. सीडीईआईसी को सफाई और स्वच्छता उपकरण तथा सामग्री और वॉश-बेसिन की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करते हुए उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए ।

घ. निकटतम स्थान पर सुगम्य वॉशरूम और पेयजल-प्वाइंट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

ङ. सीडीईआईसी में सीसीटीवी निगरानी और मानिटरिंग के लिए पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए।

च. सरकार किसी भी कारण से बुनियादी ढांचे की लागत में हुई किसी भी प्रकार की वृद्धि के लिए स्वीकृत राशि से अधिक किसी भी अतिरिक्त की राशि का भुगतान नहीं करेगी।

छ. कार्यान्वियन एजेंसियां सीडीईआईसी की स्थापना और संचालन के उद्देश्य से अलग खाता बनाए रखेंगी और यह खाता लेखा परीक्षा के लिए ओपन रहेगा ।

ज. कार्यान्वियन एजेंसियां सीडीईआईसी के उचित रिकॉर्ड को सॉफ्ट प्रारूप में दैनिक आधार पर बनाए रखेंगी:

i. विजिट करने वाले बच्चों की संख्या (0-6 वर्ष)

ii. संबंधित समस्याओं वाले विजिट करने वाले बच्चों की संख्या

iii. विजिट करने वाले दिव्यांग बच्चों की संख्या (अलग – अलग दिव्यांगता का डेटा रखा जाना है)

iv. नए जोखिम मामलों/पहचान की गई दिव्यांगताओं की संख्या

v. पुनर्वास देखभाल के लिए रेफर किए गए जोखिम वाले बच्चों/दिव्यांग बच्चों की संख्या।

vi. दिव्यांग बच्चों की संख्या जिन्हें थेरेप्यूटिक सेवाएं दी गई (अलग से सेवावार डेटा रखा जाना है)

vii. माता-पिता की संख्या जिन्हें परामर्श सेवाएं दी गई

viii. दिव्यांग बच्चों की संख्या जिन्हें पीयर काउंसलिंग दी गई

ix. माता-पिता/अभिभावकों के लिए आयोजित विशेष प्रशिक्षणों की संख्या

x. दिव्यांग बच्चों की संख्या जिन्हें सहायक उपकरण प्रदान किए गए

xi. विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित आउटरीच गतिविधियों की संख्या और विवरण।

xii. जागरूकता सृजन गतिविधियों/संचालित कार्यक्रमों की संख्या और विवरण।

झ. सीडीईआईसी सफलता की कहानियों का भी दस्तावेजीकरण करेगा और हर साल विभाग को वीडियो और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा । पिछले वर्ष के आवर्ती व्यय के समेकित आंकड़े तथा प्रलेखित (डाक्यूमेंटिड) सफलता की कहानियां वित्तीय सहायता प्राप्त करने के समय उपलब्ध कराई जाएं ।

ञ. कर्मचारी को वेतन का भुगतान कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे किया जाए। इसी प्रकार, अन्य आवर्ती व्यय के लिए भुगतान संबंधित एजेंसी/सीधे व्यक्ति के बैंक खाते में किया जाना चाहिए।

ट. कर्मचारियों की भर्ती आवश्यकता के अनुसार पात्रता मानदंडों के आधार पर खुले विज्ञापन के माध्यम से की जानी चाहिए और पारदर्शी तरीके से एक समिति के माध्यम से चयन किया जाना चाहिए ।

ठ. सभी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति का रख रखाव किया जाए।

ड. सीडीईआईसी के मानव संसाधन को सभी श्रेणियों के दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए । ये लाभार्थियों को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड बनाने में भी सहायता करेंगे ।

ढ. सभी राष्ट्रीय संस्थान सीडीईआईसी के कर्मचारियों के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करेंगे । इन एनआई में सीडीईआईसी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की लागत संबंधित संगठनों द्वारा वहन की जाएगी । राष्ट्रीय संस्थान प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं के लिए डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करेंगे।

ण. सभी सीडीईआईसी से समेकित जानकारी की रिपोजिटरी बनने और समग्र डाटाबेस को बनाए रखने के लिए एक एनआई को नामित किया जाएगा ।

त. इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले एनआई/सीआरसी मानव नियंत्रण से बाहर की स्थितियों को छोड़कर निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा न होने की स्थिति में दंडात्मक ब्याज के साथ अनुदान की पूरी राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

थ. सहायता प्राप्त करने वाले एनआई/सीआरसी भी दंड के लिए उत्तरदायी होंगे जैसा कि मंजूरी के किसी भी निबंधन और शर्तों के उल्लंघन के लिए आंतरिक वित्त के परामर्श से डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्णय लिया जाता है ।

****

<u>अनुबंध - I</u>

सीडीईआईसी स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन

1. एनआई/सीआरसी का नाम(सीआरसी के मामले में
   कृपया संरक्षक एनआई का नाम लिखें) ....
2. पूरा पता: ....

   ....

3. सिंगल प्वाइंट संपर्क व्यक्ति का नाम और टेलीफोन नंबर: ....

4.सीडीईआईसी के लिए उपलब्ध क्षेत्र/स्थान: ....

5.क्या नया केंद्र/ चालू(ऑनगोइंग) केंद्र है : ....

6. यदि चालू केंद्र है, तो कब से कार्यात्मक है ....

7. वित्तीय सहायता जिसके लिए मांगी गई:

   i. बुनियादी ढांचा विकास: ____________________________रूपए (सिविल कार्य, विद्युत फिटिंग, फिक्स्चर/फर्नीचर, पेंटिंग आदि सहित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के लिए अनुमान (सीपीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ-साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित मद वार विस्तृत अनुमान संलग्न किया जाना है)

   ii. मानव संसाधन की आवश्यकता - _______________________________________
   (प्रस्तावित पारिश्रमिक के साथ भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों का विवरण)

   iii. सीडीईआईसी के लिए अन्य प्रासंगिक आवर्ती आकस्मिक व्यय : ______________

   ____

8. क्या सीडीईआईसी की स्थापना के प्रस्ताव की कल्पना करते समय डीईपीडब्ल्यूडी की सीडीईआईसी पर पुस्तिका का अनुपालन किया गया: ____

9. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी सही है और इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता सीएसआर के अंतर्गत सहित किसी अन्य एजेंसी से नहीं मांगी गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(एनआई के निदेशक/सीआरसी के प्रभारी अधिकारी, मुहर सहित)

स्थान:
दिनांक :

****

<u>अनुबंध – II</u>

एक मॉडल सीडीईआईसी में परिसरों के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र/यूनिट/कक्ष के लिए आवश्यक निर्देशात्मक सूची

1.	पंजीकरण और सुविधा सेवा काउंटर
2.	माता-पिता के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र
3.	परिवार शिक्षा और प्रशिक्षण यूनिट
4.	बीएम और काउंसलिंग यूनिट
5.	पीडियाट्रिक सेंटर
6.	फीडिंग और एडीएल कमरा
7.	चेंजिंग रूम
8.	ओटी यूनिट
9.	पीटी यूनिट
10.	एसटी और भाषा इंटरवेंशन यूनिट
11.	इंडोर प्ले थेरेपी यूनिट
12.	ट्रान्स-डिसिप्लिनरी थेरेपी यूनिट (ग्रुप)
13.	बहु-संवेदी एकीकरण यूनिट
14.	ट्रान्स-डिसिप्लिनरी थेरेपी यूनिट (1:1)
15.	बहु-उद्देशीय गतिविधि यूनिट
16.	विजुअल स्टीमुलेशन रूम/वर्चुअल रियलिटी रूम
17.	प्रारंभिक कक्षा (3-4 वर्ष और 4-6 वर्ष)

टिप्पणी – एनआई के निदेशक और सीआरसी के प्रभारी को स्थान की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक सुविधा के लिए न्यूनतम क्षेत्र के बारे में निर्णय लेना है ।

****

अनुबंध – III

एक मॉडल सीडीईआईसी में उपलब्ध कराए जाने वाले परिसरों/इकाइयों/कमरों के लिए स्थान प्रदान करने हेतु आवश्यक उपकरणों, फर्नीचर, फिक्स्चर, सामग्री आदि की निर्देशात्मक सूची

क. क्रॉस-डिजिबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स में अन्य सामान्य इनडोर सेवाओं के लिए आवश्यक उपकरण/फर्नीचर/फिक्स्चर/सामग्री की निर्देशात्मक सूची

I. पंजीकरण और सुविधा काउंटर

1. **फर्नीचर, फिक्सचर और वॉल डेकोर** :

1. निर्धारित दिशा निर्देशों- के अनुसार सुगम्य पंजीकरण काउंटर/ एल आकार का डेस्क ।
2. कंप्यूटर (मॉनिटर, यूपीएस, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंटीवायरस के साथ ।
3. ज़ेरॉक्स के साथ प्रिंटर (कलर-प्रिंट, स्कैन के साथ मल्टीफ़ंक्शन सेंटर, कॉपी, ऑटोमैटिक टू साइड प्रिंट, वायरलेस कनेक्टिविटी) ।
4. जंक्शन बॉक्स।
5. नोटिस बोर्ड/बुलेटिन बोर्ड/बुलेट पिन के साथ पिन-बोर्ड
6. कुर्सी (माता-पिता और सीडीईआईसी के कार्मिकों दोनों के लिए
7. लैंडलाइन फोन इंटरकाम
8. दीवार घड़ी
9. ढक्कन के साथ अपशिष्ट बिन
10. वॉल स्टिकर्स/वॉल पेंटिंग्स/ टेक्टाइल दीवारें (स्थान की उपलब्धता के अनुसार)

II. माता पिता के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र

1. **फर्नीचर और फिक्सचर** :

    1. कुर्सी (आरामदायक, आर्म रेस्ट आदि के साथ टिकाऊ) ।
    2. मेज ।
    3. केबल कनेक्शन के साथ टेलीविजन (अधिमानतः, वॉल माउंटेड)
    4. वॉल क्लॉक
    5. बुक रैक/पेपर/मैगजीन स्टैंड्स
    6. ढक्कन के साथ अपशिष्ट बिन ।

2. **सामग्रियां :**

1. वाटर फिल्टर/ डिस्पेंसर के साथ वाटर-जार
2. सूचनात्मक पुस्तिका, नियमावली, पत्रिकाएँ, आदि
3. बच्चों के लिए किताबें , कहानी की किताबें आदि

III. पारिवारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण इकाई

1. फर्नीचर और फिक्स्चर:

1. कार्यालय मेज।
2. रिवोल्विंग कार्यालय मेज
3. कुर्सियाँ (माता-पिता के लिए)
4. व्हाइट बोर्ड/ पीपीटी आदि के लिए प्रोजेक्शन स्क्रीन
5. दीवार घड़ी
6. ढक्कन के साथ अपशिष्ट बिन ।

2. फर्श और दीवार की सजावट:

1. इंटरलॉकिंग- फ्लोर मैट (फोम
2. वॉल स्टिकर्स/वॉल पेंटिंग

3. भंडारण:

1. वॉलमाउंटेड- स्टोरेज कैबिनेट

4. सामग्रियां:

1. परिवार परामर्श संसाधन सामग्रियां (पुस्तकें और पत्रिकाएँ)

IV. व्यवहारगत प्रबंधन (बीएम) और परामर्श इकाई

1. **फर्नीचर और फिक्स्चर**:

    1. आफिस टेबल
    2. रिवोल्विंग आफिस चेयर
    3. कुर्सियां (माता-पिता के लिए)
    4. ढक्कन के साथ अपशिष्ट बिन

2. फर्श और दीवार की सजावट:

1. इंटरलॉकिंग- फ्लोर मैट (फोम)
2. वॉल स्टिकर्स/वॉल पेंटिंग

3. भंडारण:

1. वॉलमाउंटेड- स्टोरेज कैबिनेट

V.बाल चिकित्सा केंद्र

1. उपकरण /सामग्रियां:

1. इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन
2. ऊंचाई मापने का स्केल
3. रिफ्लेक्स नी हैमर)पीडियाट्रिक(
4. टॉर्च लाइट
5. इंच टेप
6. नेत्र चार्ट
7. स्टेथोस्कोप (बाल चिकित्सा)
8. थर्मामीटर
9. टयूनिंग फोर्क
10. टंग डिप्रेसर
11. दस्ताने
12. ढक्कन के साथ अपशिष्ट बिन

2. फर्नीचर और फिक्सचर

1. बैकरेस्ट के साथ परीक्षा सोफा जाँच
2. क्लिनिकल चेयर/ स्टूल
3. कार्यालय मेज
4. रिवोल्विंग आफिस चेयर
5. ढक्कन के साथ अपशिष्ट बिन

<u>VI. फीडिंग और एडीएल कमरा</u>

1. उपकरण/सामग्रियां:

1. बेबी बूस्टर सीट.
2. फीडिगं करते समय गोपनीयता प्रदान करने के लिए विभाजन नेट/पर्दा (वैकल्पिक जहां क्यूबिकल्स प्रदान नहीं किए जाते हैं)।
3. कुर्सियों (एर्गोनोमिक रूप से डिजाइन की गई, टिकाऊ, आदि).
4. ढक्कन के साथ कूड़ा-दान.

2. दीवार पर सजावट:

1. वॉल स्टिकर/वॉल पेंटिंग (जगह की उपलब्धता के अनुसार).

<u>VII. चेंजिंग रूम</u>

<u>1. उपकरण/सामग्रियां</u>:

1. दीवार पर लगाया हुआ वर्टिकल फोल्डिंग शौचालय बाथरूम बेबी चेंजिंग स्टेशन.
2. बच्चे के लिए बेड-प्रोटेक्टिंग रबड़ की चटाई.
3. कुर्सियों (एर्गोनोमिक रूप से डिजाइन की गई, टिकाऊ, आदि).
4. वॉल-स्टिकर्स.
5. इंटरलॉकिंग फ्लोर-मैट.
6. ढक्कन के साथ कूड़ा-दान.

ख. प्रिपरेटरी स्कूल सहित क्रॉस-डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन थेरेपिटिक सेवाओं के लिए आवश्यक उपकरण/सामग्री की सांकेतिक सूची

<u>I. लर्निंग सेंटर/ड्रामेटिक्स के लिए सामग्रियां:</u>

1. गृह क्षेत्र:

- बच्चे के आकार का स्टोव, बर्तन रखने के लिए केबिनेट के साथ सिंक, रेफ्रिजरेटर, मेज और कुर्सियाँ, बिस्तर, ड्रेसर, ड्रेस अप-डिस्प्ले और अन्य सामान जैसे वॉशिंग मशीन आदि।
- खाना पकाने के बर्तन जैसे पॉट/पैन, खाने के बर्तन, प्लेफूड-, खाद्य उत्पादों, मसाले आदि के खाली नमूने ।
- सफाई के उपकरण जैसे पोछा, झाड़ू, डस्टर, कूड़ेदान, डस्टपैन-, वैक्यूम आदि।
- शिशु गुड़िया, वयस्कों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुड़िया, गुड़िया घरों के लिए छोटी गुड़िया-(अधिमानतः विविध जातीय और क्षमता विशेषताओं के साथ), गुड़ियाघर-, गुड़ियाफर्नीचर-, गुड़िया के कपड़े आदि।
- पूर्ण लंबाई वाला अनब्रेकेबल दर्पण
- खिलौना टेलीफोन, घड़ियां, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, वाहन, स्टफ्ड जानवर, आदि ।
- ड्रेसअप कपड़े-, पुरुष और महिला दोनों विभिन्न मौसमों) और अवसरों को दर्शाते हुए).

2. विषय-आधारित क्षेत्र (कुछ उदाहरण, और जोड़े जा सकते हैं):

- अस्पताल: डॉक्टर की किट, स्टेथोस्कोप, सफेद कोट, पट्टियाँ, टेप, गुड़ियां आदि।
- रेस्तरां: मेज और कुर्सियां, मेनू-कार्ड, प्लेमनी-, एप्रोन, कटलरी, प्लेफूड्स-, आदि
- किराना स्टोर: खाली उत्पाद के नमूने, टॉय शॉपिंग गाड़ी, टॉय कैश रजिस्टर, बैग, प्लेमनी- , आदि ।
- फायर स्टेशन: फायर- ट्रक, बूट्स, रबरहाउस-, फायरसेफ्टी ह-ैट्स, रेनकोट , आदि ।.

<u>II. फाइन मोटर प्रशिक्षण के लिए सामग्रियां:</u>

- बिल्डिंग खिलौने: छोटे लकड़ी के ब्लॉकसक्यूब्स/, इंटरलोकिंग ब्लॉक, चुंबकीय ब्लॉकस, बरिस्टिल ब्लॉक, वैफ़ल ब्लॉकस, आदि
- पहेलियाँ: विभिन्न प्रकार की बनावट फोम), प्लास्टिक, लकड़ी, बहुऔर विभिन्न (बनावट- जटिलताएँ, घुंडी, बिना घुंडी, विभिन्न प्रकार के टुकड़े)05 से 30), इंटरलॉकिंग और अलगअलग टुकड़े-, अनुक्रम, फर्श।
- जोड़तोड़ की सामग्रियां:
- छोटे और बड़े बीड्स, स्ट्रिंक्स, बीड पैटर्न कार्ड, बीड फ्रेम
- कुंद सुई, ऊन, जूटस्ट्रिंग-, बटन, लेसस्ट्रिंग के साथ लेसिंग कार्ड सहित सिलाई साम/ग्रियां
- खूंटे और खूंटी बोर्ड
- ज़िप, स्नैप और बटन ड्रेसिंग फ्रेम
- कनेक्टर्स के साथ स्ट्रॉ स्टिक /
- नट और बोल्ट, स्क्रू
- ट्रेन की पटरियाँ और ट्रेन
- आकार सॉर्टर्स

<u>III. कला शिल्प क्षेत्र के लिए साम /ग्रियां:</u>

- ड्राइंग: बड़े और छोटे क्रेयॉन्स; पेन, पेंसिलस, इरेजर, रंगीन पेंसिल; मोटे और पतले वाशएबल मार्कर; चाक, चाक बोर्ड, इरेज़र; कागज विभिन्न) आकार और रंग, पंक्तिबद्ध और रिक्त(, समाचार पत्र, टिशू पेपर, निर्माण (कंस्ट्रक्शन) कागज; ड्राईइरेज़ बोर्ड और मार्कर।-
- पेंटिंग: फिंगर पेंट्स; लिक्विड टेम्पेरा पेंट्स, ब्लॉक/डिस्क टेम्परा पेंटस और ट्रे; विभिन्न प्रकार के पेंट बर्तन, पेंट ब्रुश, रोलर्स, स्कीव्ज (निचोड़) और स्प्रे बोतलें, स्पंज, क्यूटिप्स-, पेंट स्क्रैपर्स ।
- कोलाज: गोंद की बोतलें, ग्लू-स्टिक्स, गोंदब्र-श/स्प्रेडर्स; पेपरस्क्रैप-, मैगजीन, कार्ड, रैपिंग पेपर, रिबन; कार्डबोर्ड ट्यूब, बक्से, निर्माण के लिए रोलफैब्रिक स्क्रैप/ , यार्नस्ट्रिंग्स/; रुई के गोले; पोमपोम्स; ग्लिट्टर, बटन, सेक्विन, जेम्स; प्राकृतिक वस्तुएंपत्तियाँ) , बीज, टहनियाँ, पंख(।
- 3 डी सामग्रियां: प्ले-डो, ग्लूइंग/ निर्माण के लिए क्ले, लकड़ी ; पाइपक्लीनर-, प्लास्टिसिन, आदि ।
- उपकरण: सुरक्षित कैंची बाएं और दाएं हाथ) वाली(, स्ट्रेपलर, पेपर पंच, टेप (विभिन्न प्रकार(, टेप

होल्डर; प्ले-डो क्राफ्ट स्टिक्स), कुंद चाकू, कैंची, स्टेंसिलके (साथ उपयोग करने के लिए उपकरण ।

IV. ब्लॉकबिल्डिंग क्षेत्र के लिए साम-ग्रियां:

- ब्लॉक: विभिन्न शेप्स और आकार में यूनिट ब्लॉक जैसे त्रिकोण, वर्ग, रेक्टेंगल्स, सिलेंडर और आर्चेज। बड़े हॉलो ब्लॉक (खुले किनारों के साथ), ट्रीब्लॉक-, शिक्षकनिर्मित- ब्लॉक (बड़े कार्डबोर्ड दूध के डिब्बे, प्लास्टिक के कंटेनर, फोम कंटेनर, स्ट्रडी बॉक्स, ब्लॉक आकार में कटी हुई लकड़ी।(
- उपकरण: ब्लॉक बिल्डिंग एसेसरीज जैसे खिलौना वाहनों ट्रकों), कार्ड, ट्रेन, कृषि वाहन (सड़क संकेत / यातायात, फ्लोर रोड़ मैपकालीन/, स्माल टोय पीपल, स्माल टोय एनिमल, चिड़ियाघर), खेत, घरेलू(, रैंप, बोर्ड, आदि के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने के लिए।

V. पढ़ने के क्षेत्र के लिए सामग्रियां:

- पुस्तकों के वर्गीकरण की आवश्यकता है। उन्हें स्टोर से खरीदा जा सकता है, वयस्क और बच्चों की किताबें, फोटो एलबम और बच्चों की पत्रिकाएं। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में से कुछ चुनें:
- तथ्यात्मक पुस्तकें: जानवरों; जानवरों और पौधों के बारे में तथ्य ; वास्तविक जीवन के अनुभवों जैसे चिकित्सक के) पास जाना(; संख्या; आकार; रंग;
- प्रकृति और विज्ञान: पांच इंद्रियां; मानव शरीर; पशु घर और जीवन ;
- नस्ल और संस्कृति: विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के लोगों के बारे में ऐतिहासिक और समकालीन कहानियां , विभिन्न भाषाओं में किताबें।
- विविध निपुणता : विविध निपुणताओं वाले व्यक्तियों का चित्रण करने वाली पुस्तकें (व्हीलचेयर उपयोगकर्ता, बैसाखी, श्रवण यंत्र, वाकिंग केन, आदि ।)
- फेन्टेसी पुस्तकें: लोगों और जानवरों के बारे में कहानियों का नाटकीकरण।
- अन्य सामग्रियां: कठपुतली, कठपुतली थियेटर; पोस्टर सेट (बरसात के दिन आदि/सर्दी); श्रवण केंद्र और रिकॉर्ड की गई कहानियाँ; फलानेल बोर्ड।

VI. ग्रोस मोटर प्रशिक्षण के लिए सामग्रियां:

- स्टेशनरी उपकरणचढ़ाई वाले उपकरण :, स्लाइडस, कम संतुलन वाले उपकरण, झूले (स्विंग्स)
- पोर्टेबल उपकरण: बॉल्स (विभिन्न आकार और बनावट); खेल उपकरण बच्चे के) आकार की बॉस्केटबॉल हूप-, प्लास्टिक का बल्ला, हॉकी स्टिक(; पहिए वाले खिलौने (वैगन्स, पुशपुल टॉय/, स्कूटर(; राइडिंग खिलौने विविधता आकार के)पैडल के साथ और पैडल के बिना, एक या दो बच्चों द्वारा उपयोग हेतु); टम्बलिंग मैट; कूदने वाली रस्सी ; बीन बैग; हूलाहुप्स-; सुरंगें; बड़े ब्लॉक इनडोर) और आउट डोर(; लूज मैटेरियलस बिग) कार्डबोर्ड बॉक्स, कंबल, टायर(;

VII. रेत जल क्षेत्र के लिए साम /ग्रियां:

- रेत के बक्से, रेत के गड्ढे (बाहरी); विभिन्न प्रकार की रेत/वाटर मेज जैसे कि बर्तन, प्लास्टिक के डिब्बे, टब, बाल्टी, सिंक; वाटरहोज-; रेत या रेतविकल्प- (मॉडलिंग रेत, प्ले छर्रे(; वाटरप्रूफ एप्रन या स्मोक्स;
- मापने के कपचम्मच/, विभिन्न प्रकार के कंटेनरबोतलें/; फावड़े, स्कूप्स, मोल्ड्स; स्पोंजेज; छोटे पानी के ड्रॉपर, स्प्रे बोतलें, कीप; प्लास्टिक ट्यूब, सिफ्टर; चीजें जो डूबती या तैरती हैं; प्राकृतिक वस्तुएं जैसे शैल, चट्टानें, लकड़ी के टुकड़े ;

<u>VIII. विज्ञान क्षेत्र के लिए सामग्रियां:</u>

- प्राकृतिक वस्तुएं: फूल, पत्तियां, शैल, चट्टानें, पाइन कोन्स, पंख, लकड़ी, टहनियाँ, शाखाएँ ;
- जीवित चीजें: पौधे और फूल; मछली के साथ मत्स्यालयमछली/; बर्डहाउस-, बर्ड-फीडर्स;
- अन्य सामग्रियां: पशु, पौधे, पक्षी, मछली, मानव शरीर, ऋतुएं, मौसम, ग्रह, पर्यावरण जैसी तथ्यात्मक पुस्तकेंपोस्टर/ ; मानचित्र; ग्लोब; एटलस; प्राकृतिक विषय के साथ खेल /मिलान)सिक्वेंश कार्ड; प्रकृति अथवा प्राकृतिक सीक्वेंश के साथ पहेलियां जैसे कि जीवन चक्र उदाहरण मेंढक, तितली, चिकन, संयंत्र, फ्लोर पहेलियां जैसे कि मानव शरीरहृदय) , फेफड़े आदि।) ;
- विज्ञान और खेल: पिनव्हील्स, विंडचाइम्स-, तो हवा के झोंके जैसे पंखे; लोहे और गैरलौह- मदें के साथ चुंबक ; आवर्धक चश्मा, सिंक और फ्लोट मद; पुलीलीवर/; मिलाते हुए डिब्बे, महक के डिब्बे , फीलिंग बॉक्स; रंगीन चश्मा, यथार्थवादी कीड़े।

<u>IX. गणितसंख्या क्षेत्र के लिए साम/ग्रियां:</u>

- मापने: तरलकप और) सूखा मापने के सेट/ चम्मच(; तराजू और वजन; कपड़ा टेप उपाय; मीटर स्टिक, रूलर; विंडअप मीटर टेप-; थर्मामीटर, हाईट चार्ट; सेंटीमीटर क्यूब्स ।
- आकार: किसी भी आकार के खिलौने के लिए चुंबकीय आकार, पैटर्न या मेचिंग कार्ड; एट्रीब्यूट ब्लॉक विभिन्न आकार), रंग, आकार, मोटाई(; विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के साथ पहेलियाँ ; आकार सॉर्टर्स आयोजक /
- गिनती: गिनने के लिए छोटी मदें जैसे रंगीन बीड, जानवर, वाहन, पैटर्न कार्ड के साथ या इसके बिना या सोर्टिंग/काउंटिंग ट्रे प्लेमनी-, मिलान करने के लिए संख्याओं और छेदों के साथ खूंटे; खेल या पहेलियाँ जहाँ मदें की मात्रा का मिलान लिखित संख्या, पासा खेल से किया जाता है।
- लिखित संख्या: संख्या पुस्तकें और पोस्टर; मैग्नेटिक नंबर्स; नंबर पज़ल्स; नंबर लेसिंग कार्ड; प्ले-टेलीफोन; प्ले-मनी; घड़ी; कैलेंडर; फ्लैश कार्ड।
- प्रमात्रा: नेस्टिंग/स्टैकिंग कप; डोमिनोज; अबेकस; चार्ट और ग्राफ; कम या ज्यादा/अंश ढूंढने के लिए टॉयज एंड गेम्स; स्नैप-क्यूब्स, सेंटीमीटर क्यूब्स; विभिन्न ऊंचाइयों का एक अनुक्रम दर्शाता हुआ पज़ल्स या त्रि-आयामी ग्रेजुएटेड सिलेंडर ।

X. संगीत/मूवमेंट क्षेत्र के लिए सामग्रियां:

- म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट : बेल्स, पियानो, ट्रायंगल्स, जाइलोफोन, रिदम स्टिक्स; ड्रम; टैम्बरीन्स, सिम्बल्ज़, टोन-ब्लॉक्स
- डांस प्रॉप्स: स्कार्व्स, रिबन, स्ट्रीमर; हूप्स; कपड़े और जूते (पुरुष और महिला);
- ऑडियो उपकरण: टेप/सीडी प्लेयर, रेडियो; संगीत के विभिन्न प्रकार के टेप/सीडी जैसे, फोक, क्लासिकल, बच्चों के लोकप्रिय गीत, राइम्स, विभिन्न संस्कृतियों से और विभिन्न भाषाओं में संगीत । हेडफोन, गीत-पुस्तकें, माइक्रोफोन ।

XI. प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए सामग्रियां:

- ऐसी कहानी का वीडियो जिसे बाल साहित्य माना जाता है।
- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें संख्या, रंग, मिलान आदि जैसी अवधारणाओं को पेश करने की शैक्षिक सामग्रियां है।
- बच्चों और स्टाफ के प्रयोग के लिए वीडियो ।
- ऐसे वीडियो जो बच्चों के पाठयक्रम/हितों का समर्थन करते हैं ।

महत्वपूर्ण: कार्टून, वीडियो, बाल-फिल्म सहित किसी भी ऑडियो/विजुअल उपकरण सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और विकासात्मक रूप से उपयुक्त होना चाहिए, जिसमें कोई हिंसक, भयावह अथवा यौन विषयक (मुखर) सामग्रियां नहीं होनी चाहिए ।

XII. फिजियो थेरेपी के लिए उपकरण/सामग्रियां:

- पैरेलल बार (पीडियाट्रिक)
- स्टेयर क्लाईम्बर
- स्टेटिक साइकिल
- स्टैंडिंग फ्रेम.
- रोइंग – मशीन.
- इंटर लॉकिंग मैट.
- कॉर्नर चेयर.
- सी.पी. चेयर
- प्रौन क्रॉलर.
- प्रोन वैज.
- बोल्स्टर.
- थेरेपी बॉल.
- हैण्ड बॉल.
- बैलेंस बोर्ड.

- स्कूटर बोर्ड.
- ट्रेम्पोलिन.

XIII. ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए उपकरण/सामग्रियां:

- विभिन्न प्रकार के कागज (कार्डबोर्ड, सैंडपेपर, टिश्यू आदि)
- बोर्ड गेम्स और पज़ल्स.
- प्ले डफ एंड कुकी कटर.
- नट और बोल्ट.
- सेंसरी बिन्स/ बॉक्सेस.
- शेप सॉर्टर्स.
- फिंगर पेंटिंग सामग्रियां.
- विविध रंगों के साथ कलरिंग बुक (विभिन्न आकार और टेक्सचर)
- बीड्स एंड स्ट्रिंग (विभिन्न आकार, रंग और टेक्सचर).
- बिल्डिंग ब्लॉक (विभिन्न आकार, रंग और टेक्सचर).
- थेरेपी बॉल और बोल्स्टर.
- ग्रिप स्ट्रेंग्थेनर (विभिन्न ग्रिप)
- सुरक्षा कैंची (विभिन्न आकार और पैटर्न).
- पेपर पंचिंग मशीनें (विभिन्न आकार और पैटर्न).
- नेत्र-हस्त समन्वय के लिए सामग्रियां.
- द्विपक्षीय समन्वय के लिए सामग्रियां
- कोर- स्ट्रेंग्थेनिंग के लिए एक्टिविटीज आधारित सामग्रियां.
- विजुअल-मोटर इंटीग्रेशन के लिए सामग्रियां
- ज़िप, स्नैप और बटन ड्रेसिंग फ्रेम.
- ज़िप, स्नैप और बटन ड्रेसिंग फ्रेम.
- इंटर-लॉकिंग मैट.

XIV. प्ले थेरेपी के लिए उपकरण/सामग्रियां:

- बॉल पूल.
- प्ले-डफ/क्ले.

- स्विशी बॉल.
- पपेट्स.
- टेक्टाइल वाल.
- इंडोर बास्केट बॉल.
- गुड़िया, जानवरों के खिलौने, वाहन आदि।
- मैजिक/काइनेटिक सैंड.
- इंटर-लॉकिंग मैट.
- स्किटल्स.
- स्विंग्स.
- खिलौने और सॉफ्ट-टॉयज बनाए जाने चाहिए.
- फेस मास्क.
- पेंट सेट.
- सिम्बल्स.
- टॉय टनल.

<u>XV. स्पीच थेरेपी के लिए उपकरण /सामग्री:</u>

- सेंसरी मैट.
- मिरर.
- टोर्च
- फ्लैश कार्ड (फल, सब्जियां, जानवर, आम वस्तुएं, एक्शन कार्ड, वाहन, स्वयं सहायता कौशल, अच्छी आदतें, शरीर के अंग, संख्या, आकार, रंग आदि)
- खिलौना सामग्रियां (जानवर, फल, सब्जियां, वाहन आदि)
- साउंड मेकिंग टॉयज.
- प्ले-डफ/क्ले.
- पिक्चर चार्ट (बेबी एनिमल, पक्षी, कीड़े, सुरक्षा, मेरा परिवार, राइम, रंग, पीपल एट वर्क, वर्ल्ड ऑफ़ फ्लैग्स, फूल आदि)).
- कलरिंग पुस्तक और रंग.
- आई गेज़- टॉयज.

- स्टिकर - फल, सब्जियां आदि.
- फिंगर पपेट्स.
- बीन बैग.
- ड्राइंग और स्टोरी बुक्स.
- प्रीटेंड प्ले किट (किचन सेट/डॉक्टर सेट आदि).
- विजुअल स्टिमुलेशन टॉयज.
- इंटर लौकिंग मैट..
- पेग बोर्ड्स ऑफ़ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स.

XVI. संसाधन कक्ष सामग्रियां

- बॉडी पार्ट्स पज़ल्स
- सब्जियां: मॉडल
- फल: मॉडल
- नॉब के साथ स्वर (क्षेत्रीय भाषा)
- प्री राइटिंग पैटर्न
- ग्रोथ पजल
- अंग्रेजी वर्णमाला ट्रे- अपर केस
- अंग्रेजी वर्णमाला ट्रे- लोअर केस
- शेप्स बोर्ड
- बिल्ड ए टॉवर: सर्कल, स्क्वायर, क्यूब्स
- पज़ल्स
- फ्लैश कार्ड - वर्णमाला, संख्याएं, आकार, रंग, पशु, फल, सब्जियां, जानवर, एक्शन, पक्षी, फूल, वाहन
- विभिन्न आकार, रंग, टेक्सचर के बीड्स
- ट्रेसिंग स्टेंसिल – अंग्रेजी, हिंदी/क्षेत्रीय भाषा
- ड्रेसिंग फ्रेम
- गुड हैबिट्स फ्लैश कार्ड
- अर्ली मेमोरी गेम्स
- स्टोरी टेलिंग फ्लैश कार्ड
- सॉफ्ट टॉयज, स्टफ्ड एनिमल्स, डॉल्स
- बागवानी सेट

XVII. समावेशी प्रीपरेटरी स्कूल के लिए उपकरण / सामग्री:

1. **फर्नीचर और फिक्सचर (आयु उपयुक्त, रंगीन, टिकाऊ, आदि):**

1. स्टडी टेबल (बच्चों के लिए).
2. कुर्सियां (बच्चों के लिए).
3. ऑफिस टेबल (टीचर के लिए).
4. ऑफिस की कुर्सियां (टीचर के लिए).
5. पेन सहित व्हाइट बोर्ड/चॉक्स सहित ग्रीन बोर्ड
6. पिन के साथ बुलेटिन बोर्ड
7. बॉल-क्लॉक.
8. ढ़क्कन के साथ कूड़ा दान.

2. सामग्रियां:

1. प्री-स्कूल सीरीज़

- मेरी पहली पक्षियों की पुस्तक
- मेरी पहली जानवरों की पुस्तक
- मेरी पहली सब्जियों की पुस्तक
- मेरी पहली संख्याओं की पुस्तक
- मेरी पहली फलों की पुस्तक

2. पुस्तकें: यूकेजी

- प्राथमिक अंग्रेजी
- क्षेत्रीय भाषा में राइम
- आल इन वन - टर्म 1
- आल इन वन - टर्म 2
- आल इन वन - टर्म 3

3. पुस्तकें: यूकेजी

- क्षेत्रीय भाषाओं के पुस्तकें
- आल इन वन - टर्म 1
- आल इन वन - टर्म 2
- आल इन वन - टर्म 3

एन.बी. –यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीडीईआईसी में प्रदान किए गए उपकरण, फर्नीचर, फिक्स्चर, सामग्रियां आदि अच्छी गुणवत्ता, टिकाऊ, बाल-सुरक्षित, गैर-खतरनाक सामग्री आदि हैं, जो अपेक्षित उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं।

****

अनुबंध - IV

मानव संसाधन की आवश्यकता

क्र.सं.	पूर्णकालिक	संख्या	प्रति कर्मचारी मासिक पारिश्रमिक
1	क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट/रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट	1	40,000 रुपये
2	ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	1	35,000 रुपये
3	ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट (एएसएलपी)	1	35,000 रुपये
4	अर्ली इंटरवेंशनिस्ट	1	35,000 रुपये
5	स्पेशल एजुकेटर (बौद्धिक दिव्यांगता के लिए और दूसरी किसी अन्य श्रेणी के लिए एक स्पेशल एजुकेटर । हालांकि क्रॉस दिव्यांगता क्षेत्र में अनुभव रखने वालों को वरीयता दी जाएगी।	2	35,000 रुपये
6	फिजियोथेरेपिस्ट	1	35,000 रुपये
7	नर्स	1	30,000 रुपये
8	प्रशिक्षित केयरगिवर	3	20,000 रुपये
9	आया/क्लीनर (आउटसोर्स किया जाना है)	1	18,000 रुपये
	अल्पकालिक		
10	एक्टिविटी टीचर	1	15,000 रुपये
11	पीडियाट्रिसियन (विजिटिंग कंसल्टेंट)	1	2,500 रुपये प्रति विज़िट (प्रति सप्ताह अधिकतम 3-4 विज़िट)
12	अन्य विजिटिंग विशेषज्ञ (एक सप्ताह में किसी विशेष श्रेणी के विशेषज्ञ के लिए अधिकतम एक विजिट)		2,500 रुपये प्रति विज़िट (सभी विशेषज्ञों सहित प्रति सप्ताह अधिकतम 3-4 विज़िट)

* ***सीडीईआईसी में पूर्णकालिक / अंशकालिक कर्मचारियों को देय मूल पारिश्रमिक पर 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि एक वर्ष के सफल समापन पर दी जाएगी (वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को लागू होगी)। यह 5 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि एक वर्ष पूर्ण होने और विभाग द्वारा मूल्यांकन किये गये कर्मचारी के संतोषजनक प्रदर्शन रिपोर्ट पर आधारित होगी।***

****

<u>अनुबंध - V</u>

सीडीईआईसी की स्थापना के लिए कार्य का चरणवार विभाजन

चरण I **सामान्य सेवाएं (इंडोर)**	पंजीकरण एवं सुविधा केंद्र
	अभिभावकों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र
	परिवार शिक्षा और प्रशिक्षण इकाई
	बीएम एंड काउंसलिंग यूनिट
	पीडियाट्रिक सेंटर
	सुगम्य शौचालय
	अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज
	ओटी यूनिट
	पीटी यूनिट
	एसटी एंड लैंग्वेज इंटरवेंशन यूनिट
	इंडोर प्ले थेरेपी यूनिट
	सामान्य सेवाएं (आउटडोर)
	आउटडोर स्पोर्ट्स एरीना
	सेंसरी/थेरा पार्क
चरण II **सामान्य सेवाएं (इंडोर)**	फीडिंग और एडील रूम
	चेंजिंग रूम
	अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज
	ट्रांस डिसिप्लिनरी थेरेपी यूनिट (ग्रुप)
	मल्टी-सेंसरी इंटीग्रेशन यूनिट
	ट्रांस डिसिप्लिनरी थेरेपी यूनिट (इंडिविजुअल)
	बहुउद्देश्यीय गतिविधि इकाई
	वर्चुअल स्टिमुलेशन/वर्चुअल रियलिटी-आधारित प्रौद्योगिकी के साथ प्रशिक्षण इकाई
चरण III **स्कूल प्रीपेरेटरी सेवाएं**	प्रीपेरेटरी कक्षा I (3-4 वर्ष) प्रीपेरेटरी कक्षा II (4-6 वर्ष)

****

<u>अनुबंध-VI</u>

क्रास-डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का लोगो